28.6.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट गुढागोड़जी में पेश हुई। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल रहे। ग्राम गुढागोड़जी की सरहद में भूमि ख.नं. 1034 रकबा 0.5800 हे. आवासित है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.5.17 को हो चुका है। प्रार्थी सीमाज्ञान के अनुसार अपनी भूमि की सीमा पर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धारा 110 व 128 RTA स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुढागोड़जी के भूमि ख.नं. 1034 रकबा 0.5800 हे. का सीमाज्ञान दिनांक 13.5.17 के अनुसार सीमाचिन्ह यानी पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करवावें। पत्रावली मिसल शुमार होकर नकल के जमा हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.18 को कैम्प कोर्ट गुढागोड़जी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner